जी. एस. संधवालिया और जगमोहन बंसल, जे. जे. के समक्ष

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य एस.-अपीलार्थी

बनाम

डॉ. इंदर मोहन जोशी-प्रतिवादी

2017 का एल. पी. ए. सं. 1104 (ओ. एंड.एम)

28 सितंबर, 2022

भारत का संविधान, अनुच्छेद 51,226-पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम 1947-पंजाब पुनः संगठन अधिनियम 1966-पत्र पेटेंट अपील-सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष-सेवा की विस्तारित अवधि के लिए 60 वर्ष से अधिक के लिए छुट्टी नकदीकरण-60 वर्ष से अधिक की विस्तारित अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ-छुट्टी नकदीकरण को वेतन के हिस्से के रूप में माना जाएगा-आयोजित-यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई स्पष्ट, सार्वभौमिक या फॉर्मूला नहीं है कि छुट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा है। यह उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक कानूनों, नियमों, विनियमों पर निर्भर करता है-इसलिए, अपीलकर्ता विश्वविद्यालय 60 वर्ष से अधिक की सेवा की विस्तारित अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण के कारण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है-साथ ही वेतन में सेवानिवृत्ति लाभ शामिल नहीं माना जा सकता है अर्थात; सेवा की विस्तारित अवधि पर विचार करने के बाद उपदान, वृद्धि और पेंशन का निर्धारण-सेवानिवृत्ति लाभ नियमों के अनुसार किए जाते हैं, हालांकि सेवा की विस्तारित अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465 में ए. सी. जुल्का के साथ किए गए अंतिम आदेशों के अनुसार किया जाएगा-वर्तमान न्यायालय को समन्वय खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अपीलकर्ता प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है-इसलिए, याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु से परे प्रदान की गई सेवा के कारण किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ का दावा करने की अनुमति नहीं है-वर्तमान एल. पी. ए. की अनुमति सवीकार की गई और सी. डब्ल्यू. पी. में एकल न्यायाधीश द्वारा निर्धारित आदेश पारित किया गया है। माना जाता है कि हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम इस के द्वारा धारण करते है (i) अपीलकर्ता विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सेवा की विस्तारित अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण के कारण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। ((ii) रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष से अधिक की सेवाओं के कारण किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं।तदनुसार, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की अपीलों को अनुमति दी जाती है और रिट याचिकाकर्ताओं की अपीलों को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(पैरा 21)

मोहन जोशी (जगमोहन बंसल, जे)

सुभाष आहूजा, अधिवक्ता, 2017 के एल. पी. ए. संख्या 1104,1132,1176 और 1430 में उत्तरदाता (गण) के लिए और 2017 के एल. पी. ए. संख्या 872,873,921 और 922 में प्रत्यर्थीओं के लिए।

आर. डी. आनंद, अधिवक्ता, 2017 के एल. पी. ए. संख्या 872,873,921 और 922 में अपीलकर्तायों के लिए और 2017 के एल. पी. ए. संख्या 1104,1132,1176 और 1430 में प्रतिवादियो के लिए।

जगमोहन बंसल, जे.

(1) इस सामान्य आदेश द्वारा, अव्यक्त पेटेंट के खंड X के तहत दायर 2017 की अपील संख्या 1104,1132,1176,1430,872,873,921 और 922 जिसमें समान मुद्दे शामिल हैं, उस पर फैसला सुनाया जाता है। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ (संक्षिप्त में "अपीलार्थी-विश्वविद्यालय") द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील्स (एल. पी. ए. सं. 1104,1132,1176 और 2017 का 1430) का एक सेट और लेटर्स पेटेंट अपील्स (2017 का एल. पी. ए. सं. 872,873,921 और 922) का एक अन्य सेट प्रतिवादी (संक्षिप्त में "रिट-याचिकाकर्ताओं" के लिए) द्वारा दायर किया गया है। अपीलकरता-विश्वविद्यालय दावा कर रहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 15.3.2017 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से गलत तरीके से 60 वर्ष से अधिक की सेवा अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण का लाभ बढ़ाया है और रिट-याचिकाकर्ता दावा कर रहे हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने 60 वर्ष से अधिक की सेवा की उक्त अवधि के लिए वेतन वृद्धि, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लाभ से गलत तरीके से इनकार किया है।

(2) अपीलकर्ता एक विश्वविद्यालय है जिसका गठन पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्र सरकार अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को केंद्र शासित प्रदेश द्वारा से 60 % की सीमा तक धन प्रदान करती है, जबकि 40 % अनुदान पंजाब राज्य द्वारा पूरा किया जाता है। विश्वविद्यालय को मूल रूप से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 के तहत बनाया गया था और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के लागू होने के बाद, अपीलकर्ता ने अंतर-राज्यीय निकाय निगम का चरित्र हासिल कर लिया, जैसा कि ए. सी. जुल्का और अन्य बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य समन्वय पीठ ने माना है।

तथ्य।

(3) चूंकि सभी अपीलों में सामान्य मुद्दे शामिल हैं, इस प्रकार, मिलीभगत के लिए, तथ्यों को 2017 के एल. पी. ए. संख्या 1104 से अनुकरण किया जाता है जिसका शीर्षक है "पंजाब विश्वविद्यालय बनाम डॉ. इंदर मोहन जोशी "।

डॉ. इंदर मोहन जोशी, रिट-याचिकाकर्ता, 3.2.1971 पर रसायन विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में शिक्षण सहायक के रूप में शामिल हुए। विश्वविद्यालय, चंडीगढ़। 1974 में उन्हें व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया और उसके बाद 1998 में उन्हें रसायन विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत किया गया।

विश्वविद्यालय की सेवा की शर्तों के अध्याय 5 (ए) के विनियमन 17.3 के अनुसार, याचिकाकर्ता शिक्षण कर्मचारी होने के नाते 60 वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य था और सेवा में कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता था। तैयार संदर्भ के लिए विनियमन 17.3 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" 17.3 अध्याय 5 (क) के विनियम 1.1 में परिभाषित शिक्षण कर्मचारियों के सभी पूर्णकालिक सदस्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त पर सेवानिवृत्त होंगे और सेवा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।"

1 2008 एस. सी. सी. ऑनलाइन 1374

(4) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संक्षेप में "यू. जी. सी".) के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं को शामिल करके विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा शर्तों को समय-समय पर विनियमित/संशोधित किया जाता है।यू. जी. सी. ने 5 वें वेतन आयोग को अपनाते समय 'वेतनमान में संशोधन, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय, 1998' द्वारा जारी किया।

यू. जी. सी. द्वारा जारी दिनांक 1.1.1996 के पत्र अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारें वेतनमान के संशोधन की पूरी योजना को लागू करेंगी। यू. जी. सी. द्वारा परिकल्पित योजना के पैरा 16 में आदेश दिया गया है कि शिक्षक 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, यह विश्वविद्यालय के लिए 65 वर्ष की आयु तक मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एक सेवानिवृत्त शिक्षक को फिर से नियुक्त करने के लिए किया गया था। 24.12.1998 दिनांकित पत्र का हिस्सा बनने वाली योजना का पैरा 16 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

" 16.0.0 शिक्षकों का पर्यवेक्षण और पुनर्नियुक्ति

16.1.0 शिक्षक 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, विश्वविद्यालय या कॉलेज के लिए 65 वर्ष की आयु तक यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार एक सेवानिवृत्त शिक्षक को फिर से नियुक्त करने का अधिकार है।

16.2.0 कुलसचिवों, पुस्तकालयाध्यक्षों, शारीरिक शिक्षा कर्मियों, परीक्षा नियंत्रकों, वित्त अधिकारियों और ऐसे अन्य विश्वविद्यालय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी, जिन्हें शिक्षकों के बराबर माना जा रहा है और जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी।पंजीयक,पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ओर शारीरिक शिक्षा के लाइब्रेरियन और निदेशक के लिए कोई पुनः रोजगार सुविधा की सिफारिश नहीं की गई है।

(5) अपीलकर्ता ने यू. जी. सी. के पूर्व-वर्णित निर्देशों को लागू नहीं किया और सी. डब्ल्यू. पी. (ओं) द्वारा अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय के शिक्षण संकाय के विभिन्न सदस्यों ने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की मांग करते हुए इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

(5.1) इस न्यायालय ने अंतरिम आदेशों के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु यानी 60 वर्ष से आगे जारी रखने की अनुमति दी और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को अधिवर्षिता की आयु से ऊपर याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेतन जारी करने का निर्देश दिया। 19.12.2003 और 12.7.2005 दिनांकित अंतरिम आदेशों को नीचे दिए गए अनुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

दिनांकित आदेश 19.12.2003

"संबंधित पक्षों की ओर से दलीलों को समाप्त करने के लिए विद्वान वकील की ओर से सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, मामले में कुछ और समय लगने की संभावना है जब तक कि वकील अपनी दलीलों को अंततः समाप्त नहीं कर सके।न्यायाधीश के हित में, हम यह आवश्यक मानते हैं कि इस मामले को कम समय की छुट्टी के अंतराल के बाद जल्द से जल्द सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस मामले को 10.01.2004 पर तर्क के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

भारत संगठन के साथ-साथ पंजाब राज्य की ओर से पेश होने वाले वकीलों को विशेष रूप से विवादग्रस्त मामले के संबंध में स्पष्ट मार्गदर्शन लेने का निर्देश दिया जाता है। इस बीच हम आदेश देते हैं कि सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं को 31.12.2003 तक उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि न्यायाधीश के हित में शिक्षकों के वेतन जारी करने के लिए भी सामान्य निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जो समान रूप से स्थित हैं।हम निर्देश जारी करना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन इस मामले पर अपने स्तर पर निर्णय लेने का काम विश्वविद्यालय पर छोड़ देते हैं।

दिनांकित आदेश 17.7.2005

दिनांक 19.12.2003 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने प्रतिवादी को 31.12.2003 तक सभी मामलों में याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था।गैर-याचिकाकर्ताओं यानी समान रूप से स्थित शिक्षकों की ओर से भी एक अनुरोध किया गया था, जिन्होंने रिट याचिकाएं दायर की हैं, कि उनके साथ समान व्यवहार किया जाए।हालाँकि, इस न्यायालय ने इस मामले को विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि मामले की सुनवाई वास्तव में नहीं हुई है।

असल में रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि 29.1.2004 से 21.5.2004 तक याचिका को स्थगित करने का आदेश दिया गया था। इसके बाद यह मामला कई मौकों पर इस अदालत की न्याएपीठ के समक्ष पेश हुआ, लेकिन इसे सुनवाई के लिए नहीं लिया गया। न्याएपीठ के समक्ष पूर्वानुमोदन के लिए एक आवेदन भी दायर किया

गया था जो 23.5.2005 पर सुनवाई के लिए आया था जिसे भी अस्वीकार किया गया था। इसलिए यह मामला आज इस पीठ के समक्ष आया।

श्री पी. एस. पटवालिया प्रस्तुत करते हैं कि सभी याचिकाकर्ताओं की आयु 60 वर्ष से अधिक है और उन्हें 31.12.2003 के बाद से वेतन का भुगतान नहीं किया गया था। उन्होंने अपने जीवनकाल में जो भी छोटी बचत जमा की थी, वह समाप्त कर दी है। हालाँकि, ये याचिकाकर्ता ने काम जारी रखा हुआ है, इस न्यायालय के आदेशों के तहत उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है।

उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम गुप्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता केवल इस न्यायालय के आदेश को देखते हुए सेवा में बने रहते हैं। उन्हें सेवा में बने रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।उनके वेतन का भुगतान 31.12.2003 तक केवल इस न्यायालय के दिनांक 19.12.2003 के आदेश के कारण किया गया है। विश्वविद्यालय के खाते पूर्व-लेखापरीक्षा के अधीन हैं। यदि किसी भी राशि के भुगतान के लिए कोई कानूनी मंजूरी नहीं है, तो उसे भारत संघ या केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त अनुदान से विश्वविद्यालय को प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि विश्वविद्यालय को वेतन के भुगतान के बिना याचिकाकर्ताओं से काम लेना जारी रखने की अनुमति देना पूरी तरह से असमान होगा। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता समाज में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे शिक्षक के पेशे में लगे हुए हैं। उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विश्वविद्यालय को 1.1.2004 के बाद से याचिकाकर्ताओं के वेतन जारी करने का निर्देश देते हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि रिट याचिका तत्काल प्रकृति की होने के कारण बारी-बारी से निर्णय लेने योग्य है।

12.8.2005 पर स्थगित किया गया।

निकट भविष्य में याचिका की सुनवाई नहीं होने की स्थिति में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किए जा रहे किसी भी आगे के आवेदन को रोकने के लिए प्रतिबादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अगले आदेश तक अन्य कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए निर्धारित तिथि तक हर महीने याचिकाकर्ताओं को वेतन जारी करें।

इस आदेश की प्रति इस न्यायालय के विशेष सचिव द्वारा विश्वविद्यालय के वकील को विधिवत प्रमाणित दस्ती दी जाए।"

(5.2) उपरोक्त रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 28.10.2003 के पत्र से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

दिनांक 31.12.2003 से सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आगे यह सूचित किया गया कि वह उपरोक्त पत्र में उल्लिखित उपार्जित थोड़े दिनों की छुटी, छुट्टी नकदीकरण के लाभ का हकदार होगा। यह भी स्पष्ट किया गया कि 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 60 साल से अधिक की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों को बढ़ाया जाएगा। सुविधा के लिए, 28.10.2003 दिनांकित पत्र के उद्धरण नीचे दिए गए रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

“मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूं कि प्रोफेसर आई. एम. जोशी 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पंजाब विश्वविद्यालय की सेवा 31.12.2003 से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर 60 वर्ष से अधिक सेवा में बने हुए हैं, जो सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465/2002 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन है।

कुलपति ने सीनेट के निर्णय 27.05.2001 (पैरा 3) के संदर्भ में 60 वर्ष की आयु तक उनके लिए निम्नलिखित सेवानिवृत्ति लाभों को मंजूरी दी हैः-

i. विनियमन 15.1 और 15.2 के तहत स्वीकार्य ग्रेच्युटी पी. यू. कैल के पृष्ठ 131-132 खंड 1,2000

ii.पी. यू. कैल के पृष्ठ 121 पर विनियमन 12.1 (बी) के तहत स्वीकार्य छह महीने (अधिकतम) के लिए फर्लो। खण्ड-1,2000 को सिंडिकेट निर्णय दिनांक 30.08.1986 (पैरा 17) के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें थोड़े दिनों की छुट्टी की अवधि के दौरान कहीं और व्यापार या सेवा करने की अनुमति होती है और

iii.पी. यू. कैल खण्ड-III, 2003 के पृष्ठ 95 पर नियम 17.3 के तहत स्वीकार्य अर्जित अवकाश का नकदीकरण जो के देने योग्य हो लेकिन 300 दिनों से अधिक न हो।

” 60 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के बाद ही किया जाएगा।यदि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय शिक्षकों के खिलाफ फैसला देता है, तो वह 60 वर्ष की आयु से अधिक की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार नहीं होगा।”

(जोर दिया गया)

(6) अंत में इस न्यायालय की एक खण्डपीठ ने दिनांक 31.10.2008 के आदेश के तहत 72 रिट याचिकाओ का निपटारा किया.

सी. जुल्का (उपरोक्त) में खण्ड पीठ अभिनिर्धारित किया कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी भी विनियमन की अनुपस्थिति में, याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु से अधिक रहने के हकदार नहीं हैं।ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) में निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

“20......पंजाब विश्वविद्यालय के संबंध में, एक विशेष विनियमन है जो शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित करता है।विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के अध्याय VI (ए) का विनियम 17.3 इस प्रकार हैः

“ 17.3.अध्याय 5 (क) के विनियम 1.1 में परिभाषित शिक्षण कर्मचारियों के सभी पूर्णकालिक सदस्य 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे और सेवा में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।”

21. उपरोक्त विनियमन को पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 की धारा 31 (2) (ई) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तैयार किया गया है। यह स्पष्ट है कि जब तक विनियमन 17.3 में संशोधन नहीं किया जाता है और उसमें सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक यू. जी. सी. की सिफारिशों का कोई असर नहीं पड़ेगा और शिक्षण कर्मचारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते रहेंगे।ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न चरणों में, इस मामले पर सिंडिकेट और विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा विचार किया गया था।सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने और तदनुसार विनियमन 17.3 में संशोधन करने के लिए भी कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्तावों को पूर्वगामी पैरास में पुनः प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि, यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट द्वारा पारित इन प्रस्तावों को भारत सरकार की मंजूरी नहीं मिली और इस प्रकार वे कभी भी लागू नहीं हुए। हमारे मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी प्रस्ताव के प्रभावी होने और विनियमन का हिस्सा बनने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की मंजूरी मिली हो। इस संबंध में पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम की खंड 31 (1) प्रासंगिक है जो इस प्रकार हैः

“31. नियमः

(1) सीनेट, सरकार की मंजूरी से, समय-समय पर, विश्वविद्यालय से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम के अनुरूप विनियम बना सकता है।”

22. यह खंड यह स्पष्ट करता है कि विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों के संबंध में विनियम बनाने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है।अधिनियम की खंड 2 (बी) में परिभाषित सरकार का अर्थ है केंद्र सरकार। हालाँकि, तत्काल मामले में, केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय की सीनेट द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रतिग्रहण करना करने से इनकार कर दिया, जैसा कि 23 जुलाई, 2002 के विवादित पत्र, संलग्नक पी-13 को पढ़ने से स्पष्ट होता है। इसलिए, विनियमन 17.3 में किए जा रहे किसी भी संशोधन का सवाल ही नहीं उठा। विश्वविद्यालय की कानून-पुस्तिका में आज की तारीख में विनियमन 60 वर्ष की आयु प्रदान करता है और जब तक विनियमन में संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा ही बना रहेगा।”

(7) विभिन्न उच्च न्यायालयों के आदेशों से उत्पन्न सिविल अपीलों का एक समूह तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जगदीश प्रसाद शर्मा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्राथमिक मुद्दा यह था कि क्या यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए विनियमों को राज्य विधान पर प्रधानता प्राप्त है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.7.2013 के निर्णय के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए विनियम संघ सूची की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में हैं और राज्य के विधायकों ने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 25 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून बनाया है। ऐसा कोई संगठन नहीं है जो राज्य विधान के विपरीत हो, इस प्रकार, तिरस्कार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। एक अधीनस्थ विधान भले ही केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया हो, राज्य विधान पर प्रधानता नहीं रख सकता है जो पूर्ण विधान है। उच्चतम न्यायालय ने

यू. जी. सी. द्वारा तैयार की गई योजना को लागू करने पर विचार किया, जिसे राज्य द्वारा पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था और तदनुसार, केंद्र सरकार ने यू. जी. सी. द्वारा तैयार की गई योजना के कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त बोझ की भरपाई करने से इनकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने सभी दीवानी अपीलों का निपटारा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर काम करना जारी रखा है, उन्हें उक्त अवधि के दौरान सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पैरा 80 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

2 (2013) 8 एस. सी. सी. 633

“80. इसलिए, हम संबंधित पक्षों की ओर से की गई विभिन्न दलीलों के आलोक में इन सभी मामलों में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के विवादित फैसले और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं। कई अपीलें, रिट याचिकाएं और हस्तांतरित मामले, जिनमें वही प्रश्न शामिल हैं जो मामलों के इस समूह में विचार किए गए हैं, सभी को खारिज कर दिया जाता है।हालाँकि, उत्तराखंड राज्य द्वारा दायर अपील और 2012 की एसएलपी (सी) संख्या 6724,13747 और 14676 से उत्पन्न दीवानी अपीलों की अनुमति है।जहाँ तक 2012 की स्थानांतरण याचिका संख्या 1062-1068 का संबंध है, उन्हें अनुमति दी जाती है और हस्तांतरित मामलों को खारिज कर दिया जाता है।अवमानना याचिकाओं का निपटारा इस फैसले के आधार पर किया जाता है।तथापि, जिन व्यक्तियों ने इस न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के आधार पर काम करना जारी रखा है, उन्हें उक्त अवधि के दौरान सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।अपीलों और याचिकाओं को खारिज कर दिए जाने के बाद, राज्य प्राधिकरण और केंद्रीय प्राधिकरण दोनों कानून के अनुसार अपने उपायों पर काम करने के लिए स्वतंत्र होंगे।”

(8) जैसा कि देखा गया है, इस न्यायालय की समन्वय खण्ड पीठ जैसा कि पूर्व में कहा गया है, दिनांक 31.10.2008 के आदेश के माध्यम से 72 रिट याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया था जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता 60 वर्ष की आयु से अधिक रहने के हकदार नहीं हैं।श्री डी. एन. जौहर और बी. के. शर्मा ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2011 की सिविल अपील संख्या 8113-8117 दायर की थी, जिसने दिनांक 20.1.2014 (अनुलग्नक पी-4) के आदेश के अनुसार जगदीश प्रसाद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में आदेश के संदर्भ में अपीलों का निपटारा किया।माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 20.1.2014 के आदेश के परिचालन भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

“हम आवेदक-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान की शुद्धता या अन्यथा पर संदेह नहीं करते हैं। तदनुसार, इन अपीलों का निपटारा 2013 के जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) यानी सीए संख्या 5527-5543 आदि के मामले में निहित नियमों, शर्तों, टिप्पणियों और निर्देशों में किया जाता है।”

(9) ये तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि डी. एन. और बी. के. शर्मा ने इस न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा पारित दिनांक 30.10.2008 के आदेश को चुनौती नहीं दी, हालांकि, डी. एन. जौहर और बी. के. शर्मा द्वारा दायर अपीलों का परिणाम जानने पर, रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी जो इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए आई थी।रिट याचिकाकर्ताओं ने अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय

को वार्षिक वृद्धि, छुट्टी नकदीकरण, उपदान और 60 वर्ष की आयु से अधिक की पेंशन के लिए सेवा की गिनती सहित सभी सेवा लाभ प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की।यह याचिका जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और डी. एन. जौहर (2011 का सी. ए. सं. 8117) के मामले में पारित आदेश पर आधारित थी।विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के उतार-चढ़ाव वाले इतिहास पर ध्यान दिया और दिनांक 15.3.2017 के विवादित फैसले के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा दी गई रोक के आधार पर अपनी सेवा की अवधि की गणना करके प्राप्त अंतिम वेतन के आधार पर उपदान, वृद्धि, पेंशन के लाभ के हकदार नहीं हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया कि ग्रेच्युटी, वेतन वृद्धि, पेंशन के लिए सेवा की अवधि की गणना, हालांकि, अपने पहले के आधार पर 2005 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2873, परमजीत सिंह बंसल बनाम पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य मामलों में निर्णय 6.2.2017 पर निर्णय लिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि याचिकाकर्ताओं के पास 60 वर्ष की आयु से अधिक की अवधि के लिए उनके खाते में कुछ अर्जित अवकाश है, तो वे पंजाब विश्वविद्यालय विनियमन के तहत निर्धारित सीमा के अधीन उसी को नकद करवाने के हकदार होंगे।

]10) अपीलार्थी-विश्वविद्यालय इस न्यायालय के समक्ष अपील में आया है जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है जिसके तहत रिट याचिकाकर्ताओं को छुट्टी नकदीकरण का विस्तारित लाभ दिया जाता है और रिट याचिकाकर्ता अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की मांग कर रहे हैं जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

अपीलार्थी-विश्वविद्यालय का तर्क

(11) अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के विद्वान वकील ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के संदर्भ अन्य बातों के साथ साथ 60 वर्ष से आगे जारी रखने की अनुमति दी गई थी।रिट याचिकाओं को अंततः खारिज कर दिया गया जो अंतरिम आदेशों को रद्द करने के बराबर है।यह कानून का तय प्रस्ताव है कि यदि किसी याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है, तो अंतरिम आदेश बर्खास्तगी के साथ जाते हैं, सिवाय इसके कि इसे पहले ही लागू कर दिया गया है।रिट याचिकाकर्ताओं ने 60 वर्ष की आयु से अधिक काम किया, इस प्रकार, वे वेतन के लाभ के हकदार थे जो अपीलार्थी-विश्वविद्यालय निर्विवाद रूप से भुगतान करता था।रिट याचिकाओं को 31.10.2008 पर खारिज कर दिया गया था और रिट याचिकाकर्ताओं ने पर हमला नहीं करने का विकल्प चुना था इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय।फैसले पर जोर न देने का कारण यह था कि रिट याचिकाकर्ताओं ने पहले ही दो साल काम कर लिया था और उन्हें पहले से ही काम करने की अवधि के लिए वेतन मिल गया था।जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17.7.2013 के फैसले में कहा कि जिन व्यक्तियों ने अंतरिम आदेशों के आधार पर काम किया है, उन्हें सेवा के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।दोनों रिट याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दीवानी अपील दायर की थी और उनकी अपीलों का निपटारा जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में पारित फैसले के संदर्भ में किया गया था।रिट याचिकाकर्ताओं ने 2008 से 2016 तक चुप रहने का विकल्प चुना और जैसे ही उन्हें बसंत कुमार शर्मा

बनाम पंजाब विश्वविद्यालय और अन्य सीए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीए नंबर 8113-8116 का 2011 के आदेश के बारे में पता चला, उन्होंने रिट याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें इस तथ्य की अनदेखी करते हुए आंशिक रूप से अनुमति दी गई है के इस मुकदमे के पहले दौर की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

पक्षकारों के बीच मामला पहले ही समाप्त हो चुका था, इस प्रकार, उन्हें विशेष रूप से उनकी पिछली रिट याचिका को खारिज करने की तारीख से 8 साल की समाप्ति के बाद एक नई रिट याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं था।विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि विद्वान एकल जज ने जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों की गलत व्याख्या की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा के लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया था और छुट्टी के पैसे के लिए भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया था।रिट याचिकाकर्ता, संदेह के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते थे और एकल न्यायाधीश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की व्याख्या करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता वेतन के हकदार हैं जो भुगतान किया जाता है, इस प्रकार, छुट्टी का नगद भुगतान करने का कोई सवाल ही नहीं है।अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया, जो इस प्रकार है:- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब हुसैन 3 दो न्यायाधीशों की पीठ गुलाम रसूल लोन बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, इलाहाबाद की एक खण्ड पीठ का निर्णय **डॉ. शिव सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च न्यायालय और** अन्य इस न्यायालय का एकल न्यायाधीश पीठ का निर्णय ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य का एक खण्ड पीठ का फैसला, उमेश कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य और **इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय नरेश कुमार बनाम राज्य हरियाणा और अन्य .**

3 1977 (2) एस. सी. सी. 806

4 2009 (15) एस. सी. सी. 321

5 2013 एस. सी. सी. ऑनलाइन सभी। 9532

6 1995 (4) एससीटी 331

रिट याचिकाकर्ताओं-शिक्षकों की दलीलें

(12) इसके विपरीत, रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने परमजीत सिंह बंसल (ऊपर) में स्पष्ट रूप से कहा है कि छुट्टी नकदीकरण का हिस्सा है। परमजीत सिंह बंसल (उपरोक्त) का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर आधारित है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी के अधिकार के बावजूद काम करता है तो नियोक्ता भुगतान करता है और यदि वह छुट्टी का लाभ नहीं उठाता है, तो छुट्टी जमा होती है जिसे अंततः नकद वसूल किया जाता है। इस प्रकार अर्जित अवकाश को भुनाना वेतन का हिस्सा है।

देरी और अड़चनों के सवाल पर, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर नहीं की क्योंकि यह एक अखिल भारतीय मुद्दा था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को विभिन्न राज्यों के मामले पर विचार करना था। दो याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी, इस प्रकार, प्रत्येक कर्मचारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना आवश्यक नहीं था।

जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) और ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने सेवानिवृत्ति की आयु से परे काम किया है, वह सेवा के लाभ का हकदार होगा, और इस प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित होते ही रिट याचिकाकर्ताओं को एक अधिकार प्राप्त होगा।इस प्रकार, देरी को उचित ठहराया गया और याचिका ली गई कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं पर उचित रूप से विचार किया है।

(13) हम दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की समर्थ सहायता से रिकॉर्ड का अध्ययन किया है और विस्तार से दलीलें सुनी हैं।

चर्चा और निष्कर्ष

(14) रिकॉर्ड के मुताबिक स्वीकार की गई स्थिति यह है कि पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार, एक शिक्षक की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 60 वर्ष है, 60 वर्ष से अधिक कोई विस्तार नहीं दिया जा सकता है।प्रारंभ में, अंतरिम आदेश दिए गए थे जो रिट याचिकाकर्ताओं को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे दो साल तक जारी रखने की अनुमति देते थे, हालांकि, रिट याचिकाओं को अंततः खारिज कर दिया गया था।ए. सी. जुल्का और बसंत कुमार को छोड़कर, किसी भी रिट याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया।पंजाब विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए यू. जी. सी. द्वारा बनाए गए। किसी भी विनियमन को जो राज्य विधान के विपरीत है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रधानता नहीं है।

जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) और ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) ने इसका निर्देश दिया था।

विश्वविद्यालय सेवा के लाभ का भुगतान करेंगे और विशेष रूप से ग्रेच्युटी, बढ़ी हुई पेंशन, ब्याज, अतिरिक्त वृद्धि या छुट्टी नकदीकरण के लिए भुगतान करने का निर्देश नहीं दिया है।

1995 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी एंड एच 1886

2004 (4) आरएसजे 652 1530

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

(15) दोनों पक्षों के अभिलेखों और तर्कों से प्राप्त तथ्यों से हमारी यह सुविचारित राय है कि हमारे निर्धारण के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैंः-

(i) क्या वर्तमान मामले में रचनात्मक न्यायपालिका का सिद्धांत लागू होता है?

(ii) क्या रिट याचिका देरी होने के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी थी?

(iii) क्या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में छुट्टी नकदीकरण को वेतन का हिस्सा माना जा सकता है?

(iv) क्या रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवा की विस्तारित अवधि की गणना करके सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार हैं?

(16) संबंधित मुद्दों पर विचार करने से पहले, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ विभिन्न न्यायालयों द्वारा शामिल मुद्दों पर कानून की बियाख्या को देखना उचित होगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय के निर्देशों पर विचार करने के बाद जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में 17.7.2013 और डॉ. शिव सिंह (उपरोक्त) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ में निर्णय पारित किया।

जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में उच्तम न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता वेतन के हकदार हैं लेकिन उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की गणना याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी। डॉ. शिव सिंह (उपरोक्त) में पारित आदेश का पैरा 6 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के हकदार हैं, जिसके दौरान उन्होंने 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी किसी भी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को देखते हुए काम किया है, लेकिन उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की गणना याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी, यानी 62 वर्ष। प्रतिवादी एन. ओ. एस. 2, 3 और 6 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं को आवश्यक सत्यापन के बाद दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार इस की प्रमाणित प्रति की प्रस्तुति के निर्देश दिऐ।"

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ ओर अन्य बनाम हरियाणा राज्य

डॉ. इन्दर 1531

मोहन जोशी (जगमोहन बंसल,जे.)

राम कुमार शास्त्री बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय की एक खण्डपीठ कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को सेवानिवृत्ति की आयु से आगे जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो सेवा की अतिरिक्त अवधि पुनर्नियुक्ति है और प्रतिधारण नहीं है और तदनुसार, कर्मचारी सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने की तारीख से सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार होगा।आदेश के पैरा 4 और 5 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

4. उपरोक्त नियम के अनुसार, एक कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार है। यहाँ सपष्ट करतें है कि सेवानिवृत्ति की आयु से ऊपर सेवा में विस्तार की पर्वाह किए बिना पेंशन लाभों की गणना 58 वर्ष की आयु तक की जानी चाहिए।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि यह ध्यान दें इन नियमों में संशोधन द्वारा दिनांकित अधिसूचना 15.12.2005 के माध्यम से डाला गया था और इसलिए, यह अपीलकर्ता के मामले में लागू नहीं होगा जो पहले सेवानिवृत्त हो चुका था।यह विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष भी उठाया गया तर्क था और यह कहते हुए सही ढंग से खारिज कर दिया गया कि ध्यान दें केवल स्पष्टीकरणात्मक प्रकृति का था और यह वर्ष 2005 में पहली बार पेश

किया गया प्रावधान नहीं है। यह नियम 8 के उप नियम 1 की भाषा से बहुत स्पष्ट हो जाता है, जो शुरू से ही हमेशा था और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख से सेवानिवृत्ति पेंशन का हकदार होगा।जब नियम विशिष्ट है अर्थात पेंशन की गणना 58 वर्ष की आयु तक की जानी है, जो कि अधिवर्षिता की सामान्य तिथि है, तो किसी कर्मचारी को विस्तार मिलता है या 58 वर्ष के बाद उसे फिर से नियुक्त किया जाता है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा।”

नरेश परमादेश (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ अभिनिर्धारित किया है कि सेवाओं की समाप्ति के 11 वर्षों के बाद अनिवार्य प्रकृति का रिट बनाए रखने योग्य नहीं है।इस न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया और तदनुसार याचिका को खारिज कर दिया।

गुलाम रसूल लोन (उपरोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इसके बाद अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकता है।

समानता के आधार पर 13 साल तक इंतजार करना निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं :-

9 2012 एस सी सी ऑनलाइन पी एंड एच 3335

12. इसके अलावा इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा है। संविधान में समानता खंड को लागू करने की परिकल्पना नहीं की गई है जहां किसी व्यक्ति को किसी अवैध कार्य के कारण अनुचित लाभ मिला हो। पंची देवी बनाम राजस्थान राज्य [(2009) 2 एस. सी. सी. 589] मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः"......भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा है।समानता, यह तुच्छ है, अवैधता में दावा नहीं किया जा सकता है। इस के बावजूद भी रिट याचिका के साथ-साथ समीक्षा याचिका पर भी अपीलकर्ता की ओर से देरी और अड़चनों के आधार पर विचार नहीं किया गया है।

13. दिए गए किसी मामले में न्यायालय समान आदेश पारित करने के लिए इच्छुक हो सकता है जैसा कि पहले के मामले में समानता या अन्यथा के आधार पर किया गया है।

14. हालाँकि, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र को देरी और रुकावटों के आधार पर अस्वीकार किया जा सकता है।अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि जो हिस्सेदारी का दावा करता है, उसे उचित समय के भीतर अपने दावे को लागू करना होगा।

......उक्त सिद्धांत को एस. एस. बालू बनाम केरल राज्य [(2009) 2 एस. सी. सी. 479] में निम्नलिखित शब्दों में दोहराया गया थाः-

"17. यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत भी है कि "देरी हिस्सेदारी को हरा देती है"।सरकारी आदेश 15-1-2002 पर जारी किया गया था।अपीलकर्ताओं ने इसकी देरी पर सवाल उठाते हुए कोई रिट आवेदन दायर नहीं किया।दूसरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुमति दिए जाने और केरल राज्य द्वारा इसके खिलाफ अपील करने के बाद ही उन्होंने खुद को पक्ष-प्रत्यर्थी के रूप में शामिल किया।अब यह एक सामान्य कानून है कि जहां रिट

याचिकाकर्ता लंबे समय के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, वहां देरी के आधार पर उन्हें राहत देने से इन्कार किया जा सकता है, भले ही वे निर्णय का लाभ प्राप्त करने वाले अन्य उम्मीदवारों के समान स्थित हों। इस प्रकार, हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम केरल राज्य या आयोग को इस स्तर पर अपीलार्थियों की नियुक्ति के लिए कोई निर्देश जारी करें।

(17) प्रश्न संख्या 1-क्या वर्तमान मामले में रचनात्मक न्यायपालिका का सिद्धांत लागू होता है?

(17.1) रिट याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग रिट याचिकाओं में आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए यू. जी. सी. की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की थी। इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 31.10.2018 के फैसले के माध्यम से निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है और रिट-याचिकाकर्ता यू. जी. सी. द्वारा अनुशंसित आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के हकदार नहीं हैं। निर्विवाद रूप से, दो रिट-याचिकाकर्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं को प्राथमिकता दी, जिनका निपटारा जगदीश प्रसाद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले के आलोक में किया गया।

(17.2) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने उपरोक्त रिट याचिकाओं पर निर्णय देते हुए याचिकाकर्ताओं की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के अधिकार के प्रश्न पर निर्णय दिया, हालांकि, न्यायालय ने वेतन और अन्य लाभों की पात्रता के प्रश्न के साथ विज्ञापन नहीं किया।इसका कारण इतना ही सरल था कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता आयु वृद्धि के हकदार नहीं हैं, इस प्रकार, वेतन और अन्य लाभों की पात्रता के सवाल के साथ विज्ञापन करने का कोई कारण नहीं था।इस न्यायालय के फैसले से दो अपीलों सहित विभिन्न राज्यों की विभिन्न याचिकाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आईं, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि गैर-केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारी यू. जी. सी. की सिफारिशों के कार्यान्वयन का दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे 60 से 62 वर्ष की आयु बढ़ाने का दावा नहीं कर सकते हैं।माननीय न्यायालय ने एस. एल. पी. का निपटारा करते हुए कहा कि शिक्षक वेतन के हकदार होंगे।यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि इस न्यायालय की खण्ड पीठ ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) में मामले का निपटारा करते समय वेतन के साथ विज्ञापन नहीं किया, हालांकि, 16.12.2003 और 12.7.2005 दिनांकित अंतरिम आदेशों द्वारा, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को प्रत्येक महीने के याचिकाकर्ताओं के वेतन का भुगतान एक निर्धारित तिथि तक करने का निर्देश दिया गया था।इन परिस्थितियों में, रिट याचिकाकर्ताओं को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक या रिट याचिका खारिज होने तक, जो भी पहले हो, वेतन मिलता था।अंतरिम आदेशों के तहत इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने काम करना जारी रखा और साथ ही उन्हें अपना वेतन भी मिला।यह कानून का मूल सिद्धांत है कि सभी अंतरिम आदेश अंतिम आदेश के साथ विलय हो जाएं।यह याद रखना चाहिए कि अंतिम आदेश पारित होते ही सभी अंतरिम आदेश अपनी पवित्रता खो देते हैं, हालांकि, वे सभी अंतरिम आदेश जिन पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जिन्हें लागू किया जा चुका है, जरूरी नहीं कि उन्हें वापस लिया जाए या रद्द कर दिया जाए।आयु बढ़ाने की मांग करने वाली रिट याचिका को खारिज करने से शिक्षक अपने वेतन से वंचित हो सकते हैं या इसके परिणामस्वरूप वेतन की वसूली हो सकती है जो पहले ही भुगतान किया जा चुका था।वर्तमान मामले में, रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय के निर्देशों के तहत काम किया था और उन्हें इस न्यायालय के निर्देशों के तहत वेतन मिला था, इस प्रकार, यह के रूप में कानून में संभव नहीं था

अंतरिम आदेशों को रद्द करने के लिए या यह ठहराने के लिए कि रिट याचिकाओं को खारिज करते ही अंतरिम आदेशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अंतरिम आदेशों को वापिस लेने या उन आदेशों को सही मानते हुए के वह पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं हैं, उन शिक्षकों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू करने के मामले में अराजकता पैदा हो गई होगी, जो पहले से ही इस न्यायालय के आदेशों के संदर्भ में काम कर चुके थे। रिट याचिकाओं को खारिज करने के परिणामस्वरूप अंतरिम आदेश इस हद तक समाप्त हो गया कि सभी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए थे लेकिन, 62 वर्ष पूरे नहीं किए थे, वे सेवानिवृत्त हो गए और इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों को देखते हुए वे अपने आप वेतन के हकदार नहीं हुए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जगदीश प्रसाद शर्मा के मामले (उपरोक्त) में अपीलों का निपटारा करते समय वस्तुतः वेतन का अधिकार नहीं बनाया, जबकि यह केवल इस न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेशों की ही पुष्टि थी। रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत की प्रयोज्यता के प्रश्न को यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जा सकता है और प्रत्येक मामले के तथ्यों और न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए। निष्कर्षों की जांच करना अनिवार्य भी है। वर्तमान मामले में इस न्यायालय की खण्डपीठ आयु वृद्धि की पात्रता के प्रश्न पर निर्णय दिया और न्यायालय ने इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत, जिस अवधि के दौरान उन्होंने काम किया, वेतन और अन्य लाभों के लिए कर्मचारियों की पात्रता के प्रश्न पर निर्णय नहीं दिया। जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में अपीलों का निपटारा करते हुए शिक्षकों के वेतन के अधिकार की पुष्टि की, वेतन की पात्रता का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस प्रकार कारवाई के लिए नया कारण था, भले ही रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में उन्हें पहले ही वेतन मिल चुका था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता वेतन के भुगतान की मांग करने वाली नई रिट याचिकाएं दायर करने के हकदार थे जो उन्हें मिल सकती हैं या नहीं।

(18) प्रश्न संख्या 2-क्या रिट याचिका में देरी ओर अवधि बीत जाने के आधार पर खारिज होने योग्य थी?

आयु बढ़ाने की मांग करने वाली शिक्षकों की रिट याचिकाओं को 31.10.2008 पर खारिज कर दिया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 17.7.2013 पर जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में अपील को खारिज कर दिया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने 2014 में वेतन की मांग करने वाली रिट याचिका को प्राथमिकता दी। 2016 में कुछ रिट याचिकाएं दायर की गईं। दो शिक्षकों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31.10.2008 के फैसले पर दावा किया। उनकी दीवानी रिट का निपटारा किया गया। इस पृष्ठभूमि में रिट याचिकाकर्ताओं ने 2014-2016 के दौरान इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट याचिकाओं को पहल दी।

विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से हमारी राय है कि रिट याचिकाएं रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांत से प्रभावित नहीं हुई थीं, हमारी यह सुविचारित राय है कि यह निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश को देरी और बाधाओं के आधार पर रिट याचिकाओं को खारिज कर देना चाहिए था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं पर विचार किया है और एक मौखिक आदेश पारित किया है, इसलिए हम स्वयं को अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के इस तर्क से सहमत होने में असमर्थ पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से देरी हुई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने देरी और अड़चनों के आधार पर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

(19) प्रश्न सं. (iii) क्या मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में छुट्टी नकदीकरण को वेतन का हिस्सा माना जा सकता है?

(19.1) विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि रिट याचिकाकर्ताओं ने 60 वर्ष की आयु से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी अर्जित की थी, तो वे पंजाब विश्वविद्यालय विनियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन उसी विषय को नकद लेने के हकदार होंगे।

विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उस छुट्टी को नकद लेने के हकदार हैं जो रिट याचिकाकर्ताओं ने सेवा की विस्तारित अवधि के दौरान अर्जित की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे कहा है कि रिट याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय विनियमों के तहत निर्धारित सीमा के अधीन छुट्टी नकदीकरण करने के हकदार होंगे। रसायन विज्ञान विभाग के अध्यक्ष/प्रमुख को संबोधित दिनांक 28.10.2010 के संचार से पता चलता है कि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने इस न्यायालय के समक्ष 2002 की सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465 विचाराधीनता होने के कारण सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए हैं, जबकि अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने अर्जित अवकाश को नकद वसूल करने की अनुमति दी है, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर V-III, 2003 के पृष्ठ 94 पर नियम 17.3 के तहत स्वीकार्य 300 दिनों से अधिक नहीं है। पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर V-III, 2003 के नियम 16,17.1,17.2 और 17.3 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"16. एक कर्मचारी, जिसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद विश्वविद्यालय सेवा के हित में फिर से नियुक्त किया जाता है, उसे उसके पुनर्नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार छुट्टी दी जा सकती है। एक कर्मचारी के खाते मे अर्जित 180/300 दिनों से ऊपर अवकाश सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद समाप्त हो जाएगी।

एक कर्मचारी को चार महीने तक सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी दी जा सकती है।

सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी (या स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति पर)

पंजाब सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश के दिनों की संख्या के बराबर नकद भुगतान किया जाएगा। छुट्टी वेतन के समतुल्य मामला (शहर प्रतिपूरक भत्ता और घर किराया भत्ते को छोड़कर) इस प्रकार स्वीकार्य एकमुश्त निपटान के रूप में एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए छुट्टी मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख पर प्राप्त वेतन पर छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद देने के लिए स्वतः आदेश जारी करेगा, बशर्ते कोई कर्मचारी नियम 17.2 के तहत सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर जाता है, तो नियम 17.3 के तहत छुट्टी वेतन के बराबर नकद भुगतान का लाभ सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए छुट्टी पर खर्च की गई अवधि को घटाने के बाद स्वीकार्य होगा।

बशर्ते कि एक कर्मचारी, जो स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुआ है या अमान्य होने पर सेवानिवृत्त हुआ है, अप्रयुक्त अवकाश के लिए नकद भुगतान के उपरोक्त लाभ का हकदार होगा, इसके बावजूद कि इसके परिणामस्वरूप उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच की अवधि और जिस तारीख को वह सेवानिवृत्ति पर सामान्य पाठ्यक्रम में सेवानिवृत्त होता है तो वह सेवानिवृत्ति होने पर सेवानिवृत्ति की तारीख से अधिक होगा।"

उपरोक्त उद्धृत नियमों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि एक कर्मचारी अर्जित अवकाश को नकदीकरण का हकदार है जो 300 दिनों से अधिक नहीं हो सकता है। रिट याचिकाकर्ताओं ने निर्विवाद रूप से 60 वर्ष की आयु तक काम किया और इस अवधि के दौरान उन्होंने छुट्टी अर्जित की जिसे वे नकद भुगतान लेने के हकदार थे। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह खुलासा करता हो कि रिट याचिकाकर्ताओं ने या तो अपने काम की मूल अनुमेय अवधि के दौरान 300 दिनों की छुट्टी अर्जित की है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु (60 वर्ष) तक या नहीं। विभिन्न प्रकार के मामले हो सकते हैं। ऐसा मामला हो सकता है जहां एक शिक्षक ने 300 दिनों की छुट्टी अर्जित नहीं की है और एक और मामला हो सकता है कि क्या एक शिक्षक ने पहले ही 300 दिनों की छुट्टी अर्जित कर ली है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया है कि छुट्टी का नकदीकरण विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन होगा।अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार, छुट्टी के नकदीकरण करने के लिए अधिकतम अनुमेय अवधि 300 दिन है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो सेवानिवृत्ति की आयु से अलग छुट्टी की अनुमति देता है और छुट्टी को नकदीकरण की अनुमति देता है। 60 वर्ष से अधिक आयु की छुट्टी को नकद करवाने की अनुमति देने वाले विशिष्ट नियम की अनुपस्थिति में और यहां तक कि विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय के अनुसार, रिट याचिकाकर्ताओं-शिक्षकों को अर्जित छुट्टी को नकद करवाने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि रिट याचिकाकर्ता एस. की अपनी विस्तारित अवधि के दौरान छुट्टी के हकदार थे।

सेवा में अर्जित अवकाश प्राप्त करने के हकदार हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि अपीलार्थी-विश्वविद्यालय और विद्वान एकल न्यायाधीश एक ही पृष्ठ पर हैं।अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के तर्क के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों में कोई अंतर नहीं है। रिट याचिकाकर्ताओं ने दलीलों के दौरान और साथ ही अपने अभिवचनों में इस न्यायालय के संज्ञान में कोई नियम/विनियमन/अधिसूचना नहीं लाई है जो उन्हें अपनी विस्तारित सेवा अवधि के दौरान जाने का हकदार बनाती है और उन छुट्टियों की नकदीकरण की अनुमति देती है। किसी विशेष नियम/विनियम की अनुपस्थिति में, हम मानते हैं कि रिट याचिकाकर्ता पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर V-III, 2003 के नियम 17.3 के तहत स्वीकार्य अपनी पात्रता से परे छुट्टी के नकदीकरण के हकदार नहीं हैं।

(19.2) विवादित फैसले का एक और पहलू है। विद्वत एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश पारित करते हुए परमजीत सिंह बंसल (उपरोक्त) सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2873 2005 में 6.2.2017 को दिए गए पूर्व निर्णय पर भरोसा किया है । हमने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए परमजीत सिंह बंसल (उपरोक्त) मुकदमे के निर्णय का अध्ययन किया है । हम ने सीखा है के एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया है कि छुट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा होगा और विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष के इस निर्णय पर आधारित हैं के राजस्थान राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य बनाम वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय, लक्ष्मणगढ़ और अन्य जिस में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि छुट्टी नकदीकरण वेतन का एक हिस्सा है और व्यापक अभिव्यक्ति 'वेतन

और भत्तों के पैमाने' में शामिल है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उल्लेख किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है।

“14. सहायता प्राप्त निजी संस्थानों और राज्य की ओर से इस तर्क को अस्वीकार करने का अतिरिक्त कारण यह है कि छुट्टी के वेतन का भत्ते अधिनियम की खंड 29 के अर्थ के भीतर न तो "वेतन" है और न ही "भत्ते"। खंड 29 निजी सहायता प्राप्त संस्थानों और सरकारी संस्थानों के समान श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच "वेतन और भत्तों के पैमाने" के संबंध में समानता बनाए रखने का निर्देश देती है। ऊपर उद्धृत प्रासंगिक प्रावधानों की बारीकी से जांच से पता चलता है कि खंड 29 के मुख्य भाग में खंड के शीर्षक में "वेतन और भत्ते" के पैमाने का उपयोग इसे व्यापक अर्थ देने के लिए किया गया है ताकि धारा की परिभाषा के अनुसार उनके भीतर "परिलब्धियों का योग" और "अन्य भत्ते और राहतें" शामिल हो सके।

10 (2005) 10 एस. सी. सी. 346

अधिनियम की धारा 2 (आर) में "वेतन" शब्द को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "महँगाई भत्ता या कोई अन्य भत्ता या राहत" सहित किसी कर्मचारी के परिलब्धियों का योग। "वेतन" शब्द की व्यापक परिभाषा को धारा 29 में पढ़ा जाना चाहिए जो सहायता प्राप्त संस्थानों और सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में समानता बनाए रखने का निर्देश देती है।”

(19.3) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्ष राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षणिक संस्थान अधिनियम, 1989 की धारा 2 और 29 और उसके तहत बनाए गए नियमों पर आधारित हैं। माननीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पंजाब राज्य बनाम ओम प्रकाश कौशल के फैसले में अंतर करने के बाद छुट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा होगा, जिसमें कहा गया है कि पंजाब निजी रूप से प्रबंधित मान्यता प्राप्त स्कूल कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 का राजस्थान अधिनियम की तुलना में एक प्रतिबंधात्मक अर्थ था। इस नियम में ही प्रावधान किया गया था कि क्षतिपूर्ति भत्ते को छोड़कर वेतन में महँगाई भत्ता और अन्य भत्तों सहित सभी परिलब्धियों का योग शामिल होगा। माननीय न्यायालय ने 1989 के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ उनके तहत बनाए गए नियमों की व्याख्या की। साल 1989 के अधिनियम और नियम 51 की धारा 2 और 29 के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि वेतन में अवकाश नकदीकरन शामिल होगा, और इस प्रकार माननीय न्यायालय ने माना कि अवकाश नकदीकरन वेतन का हिस्सा होगा।

मणिपाल में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ

उच्च शिक्षा अकादमी बनाम भविष्य निधि आयुक्त मामले में अभिनिर्धारित किया कि 'मूल मजदूरी' अभिव्यक्ति में भविष्य निधि में कर्मचारी के योगदान के निर्धारण के लिए छुट्टी नकदीकरण शामिल नहीं है। निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित रूप में पुनः प्रस्तुत किए गए हैंः-

“8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य कुछ अजीब था। वहाँ नियोक्ता से भविष्य निधि बकाया के साथ-साथ कर्मचारी के योगदान की गणना के उद्देश्य से परिलब्धि के रूप में छुट्टी नकदीकरण की राशि को शामिल कर रहा था ।जब कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे को आयुक्त के समक्ष उठाया तो बताया गया कि इस प्रावधान में भविष्य निधि छुट्टी नकदीकरण पर की कटौती का प्रावधान नहीं है

11 (1996) 5 एससीसी 325

12 (2008) 5 एस. सी. सी. 428

9. आयुक्त के दिनांकित 3.7.1991 पत्र के आधार पर, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने कटौती का प्रावधान करने का निर्णय लिया। विभाग के इस निर्देश को संघ ने चुनौती दी थी।इस संदर्भ में उच्च न्यायालय ने माना है कि आयुक्त का पत्र/परिपत्र अवैध था और भविष्य निधि योगदान के लिए बकाया अवकाश नकदीकरण को शामिल किया जाना चाहिए। वास्तव में यह इस अवधि के दौरान पक्षों की समझ थी कि अवकाश नकदीकरण को वेतन में शामिल किया जाएगा।

10. धारा 2 (बी) और 6 के संयुक्त पठन पर ब्रिज रूफ के मामले (उपरोक्त) में निर्धारित बुनियादी सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(क) जहां वेतन सार्वभौमिक रूप से आवश्यक रूप से और सामान्य रूप से बोर्ड में सभी को भुगतान किया जाता है, ऐसी परिलब्धियां मूल वेतन हैं।

(ख) जहां अवसर का लाभ उठाने वालों को विशेष रूप से भुगतान किए जाने वाला उपलब्ध है, वह मूल मजदूरी नहीं है। उदाहरण के रूप में यह माना गया था कि ओवरटाइम भत्ता आम तौर पर सभी कंपनियो पर लागू होता है। कंपनियो के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित नहीं किआ जा सकता, इसे रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार भी अर्जित किया जाता है, लेकिन क्योंकि यह किसी संस्था के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे मूल वेतन से बाहर रखा गया है।

(ग) इसके विपरीत, विशेष प्रोत्साहन या काम के माध्यम से कोई भी भुगतान मूल वेतन नहीं है।

11. टी. आई. साइकिल्स ऑफ इंडिया, अम्बत्तूर बनाम अन्य एम. के. गुरुमानी और अन्य (2001 (7) एस. सी. सी. 204) यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किए गए अतिरिक्त कार्य के संबंध में भुगतान किए गए प्रोत्साहन मजदूरी को मूल मजदूरी से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका अतिरिक्त उत्पादन की राशि के साथ सीधा संबंध है ओर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योगदान की कोई भी राशि विभिन्न आकस्मिकताओं और अनिश्चितताओं पर आधारित नहीं हो सकती, यह परीक्षा सार्वभौमिकता में से एक है। छुट्टी के नकदीकरण के मामले में विकल्प सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध हो सकता है लेकिन कुछ को लाभ मिल सकता है और कुछ को नहीं। यह सार्वभौमिकता की कसौटी पैर खरा नहीं उतरता। जैसा कि दैनिक प्रताप बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (1998 (8) एस. सी. सी. 90) में देखा गया है कि परीक्षण एक समान उपचार या सांठगांठ जो व्यक्तिगत काम पर निर्भर करता है।

12. 'मूल मजदूरी' शब्द, जिसमें वे सभी वेतन शामिल हैं,जो एक कर्मचारी द्वारा ड्यूटी पर या छुट्टी पर या छुट्टियों पर रोजगार के अनुबंध की शर्तों के अनुसार मजदूरी के साथ अर्जित किए जाते हैं, इस का अर्थ केवल साप्ताहिक

अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश और त्योहार की छुट्टियाँ आदि हो सकती है। कई मामलों में कर्मचारी छुट्टी नहीं लेते हैं और सेवानिवृत्ति के समय इसे नकद वसूलते हैं या उनकी मृत्यु के बाद इसको नकद करवाते है, जिसे अनिश्चितता और आकस्मिकता कहा जा सकता है। हालाँकि ऐसी आकस्मिकताओं के लिए नियोक्ता के लिए प्रावधान किए गए हैं, जब तक कि छुट्टी के नकदीकरण की आकस्मिकता न हो, लेकिन कर्मचारी को वास्तविक भुगतान का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ब्रिज रूफ के मामले (उपरोक्त) और टी. आई. साइकिल के मामले (उपरोक्त) में इस अदालत के फैसले को देखते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि मूल मजदूरी का उद्देश्य कभी भी छुट्टी नकदीकरण के लिए प्राप्त राशि को शामिल करने का इरादा नहीं था।”

किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड में महाप्रबंधक बनाम तराई चीनी मिल मजदूर संघ, उत्तराखंड द्वारा दो न्यायाधीश माननीय उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा कि ओवरटाइम मजदूरी और छुट्टी नकदीकरण अभिव्यक्ति 'मजदूरी' का हिस्सा नहीं बनेगे।

माननीय न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की खंड 2 (ख) की व्याख्या करते हुए कहा है कि पर्वतीय विकास भत्ते की गणना के लिए ओवरटाइम मजदूरी और छुट्टी नकदीकरण को शामिल नहीं किया जाएगा।निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं।-

“8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे द्रिड संकल्प के लिए जो सवाल आता है, वह 'मूल मजदूरी' अभिव्यक्ति के अर्थ के बारे में है। पर्वतीय विकास भत्ता देने के आदेश में सरकार द्वारा 'मूल वेतन' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है। इसे केवल कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ख) के तहत परिभाषित किया गया है। इसलिए हमें यह देखना होगा कि वर्तमान संदर्भ में इस अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 2 (ख) 'मूल मजदूरी' को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

“2. परिभाषाएँ।- इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो ऐसा करने से रोकें।

13 (2014) 4 एस. सी. सी. 37

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य एस. बनाम डॉ. इंदर 1541

मोहन जोशी (जगमोहन बंसल, जे.)

(क) XXX XXX

(ख) "मूल मजदूरी" का अर्थ अर्जित की गई सभी परिलब्धियां जो किसी कर्मचारी द्वारा कर्तव्य पर रहते हुए या छुट्टी पर या छुट्टियों पर रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार दोनों मामलों में मजदूरी के साथ अर्जित किए जाते हैं और जो उसे नकद में भुगतान या दिए जाते हैं, लेकिन इसमें शामिल नहीं हैं -

(i) किसी भी खाद्य रियायत का नकद मूल्य;

(ii) कोई भी महँगाई भत्ता, अर्थात जीवन यापन की लागत में वृद्धि, घर-किराया भत्ता, ओवरटाइम भत्ता, बोनस कमीशन या कर्मचारी को उसके रोजगार या ऐसे रोजगार में किए गए काम के संबंध में देने योग्य किसी भी अन्य समान भत्ते के कारण किसी भी कर्मचारी को दिए गए सभी नकद भुगतान,

(ग) नियोक्ता द्वारा दिया गया कोई भी उपहार;

9. एच. टी. पी. के अनुसारः//डब्ल्यू. डब्ल्यू.मेरियम-वेबस्टर।कॉम (मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी) 'बुनियादी मजदूरी' शब्द का अर्थ इस प्रकार हैः

“(1) जीवन यापन की लागत के आधार पर मजदूरी या वेतन और वेतन की दरों की गणना के लिए एक मानक के रूप में उपयोग किया जाता है।

(2) बोनस और ओवरटाइम जैसे अतिरिक्त भुगतानों को छोड़कर एक मानक कार्य अवधि के लिए वेतन की दर।”

10. जब किसी अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया जाता है, तो कोई व्यक्ति अधिनियम में इस तरह की अभिव्यक्ति को दी गई परिभाषा के साथ-साथ शब्दकोश के अर्थ को भी ध्यान में रख सकता है। हमारी राय में वे वेतन जो सार्वभौमिक रूप से, आवश्यक रूप से और सामान्य रूप से बोर्ड के सभी कर्मचारियों को दिए जाते हैं, वे मूल वेतन हैं। जहां भुगतान उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो दूसरों की तुलना में अधिक अवसर का लाभ उठाते हैं, उसके लिए भुगतान की गई राशि को मूल मजदूरी में शामिल नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ओवरटाइम भत्ता हालांकि, इसे आम तौर पर पूरे बोर्ड में लागू किया जाता है, लेकिन सभी कर्मचारियों द्वारा समान रूप से अर्जित नहीं किया जाता है। समय से अधिक मजदूरी या उस मामले के लिए, छुट्टी नकदीकरण प्रत्येक कर्मचारी के लिए उपलब्ध हो सकता है लेकिन यह एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी में भिन्न हो सकता है।अतिरिक्त बोनस कर्मचारी द्वारा किए गए काम के जयादा घंटे पर निर्भर करता है, जबकि छुट्टी नकदीकरण कर्मचारी के लिए उपलब्ध छुट्टी के दिनों की संख्या पर निर्भर करेगा। जो दोनों में परिवर्तनशील हैं। ऊपर हमने जो देखा है उसे ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि छुट्टी के रूप में प्राप्त राशि पहाड़ी विकास भत्ते के 15 प्रतिशत की गणना के लिए नकदीकरण और ओवरटाइम मजदूरी शामिल करने के लिए उपयुक्त नहीं है। जिस दृष्टिकोण को हमने लिया है, वह मुइर मिल्स कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को समर्थन दिया है,जिस पर अपीलकर्ता ने भरोसा किया है, जिसमें यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि मूल वेतन में बोनस शामिल नहीं होगा।”

2022(2) आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा 1542

(19.4) उपर्युक्त निर्णयों को पढ़ने से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि छुट्टी नकदीकरण वेतन/मजदूरी का हिस्सा है, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई कट एंड ड्राई, यूनिवर्सल या स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है। क्या छुट्टी नकदीकरण मजदूरी/वेतन का हिस्सा है, यह उसके तहत बनाए गए प्रासंगिक क़ानून/नियमों/विनियमों पर निर्भर करता है। यदि इसके तहत बनाए गए अधिनियम या विनियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि छुट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा नहीं होगा, तो न्यायालय यह नहीं मान सकता है कि यह वेतन का हिस्सा होगा, जबकि इसके तहत बनाए गए अधिनियम या विनियम में यह प्रावधान किया जा सकता है कि विशेष अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण वेतन का हिस्सा होगा।इसलिए, हमारी यह सुविचारित राय है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को छुट्टी नकदीकरण के लिए निर्देश देते हुए गलत तरीके से अमरजीत सिंह बंसल (उपरोक्त) में अपने पहले के फैसले पर विशवास किया है।

(20) प्रश्न संख्या4 :क्या रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवा की विस्तारित अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार हैं?

(20.1) अर्जित अवकाश के नकदीकरण के बारे में हमारे निष्कर्षों को देखते हुए अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सवाल के साथ विज्ञापन करने की कोई आवश्यकता नहीं है हालांकि, हम अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के सवाल पर विस्तार करना उचित समझते हैं क्योंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का दावा करते हुए एल. पी. ए. दायर किया है और उनकी दलीलों का आधार जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है।

(20.2) निर्विवाद रूप से, रिट याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के एकमात्र आधार पर काम किया। विभिन्न अंतरिम आदेशों के माध्यम से उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ के रूप में वेतन मिला, जिसमें अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को रिट याचिकाकर्ताओं का वेतन जारी करने का निर्देश दिया गया। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय वेतन जारी करने के लिए इच्छुक नहीं था, हालाँकि, इस न्यायालय ने अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को रिट याचिकाकर्ताओं को वेतन जारी करने का निर्देश दिया। रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया और सामान्य परिस्थितियों में रिट याचिकाकर्ताओं को पहले से किए गए भुगतान की वसूली करना अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय का अधिकार था हालांकि, अपीलकर्ता-विश्वविद्यालय ने वसूली शुरू करने या इस न्यायालय से वसूली के अधिकार की मांग करने से रोकने का विकल्प चुना।

(20.3) निर्विवाद रूप से, रिट याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे, इसलिए वे माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों को दिए गए लाभ का आंख मूंदकर दावा नहीं कर सकते। हमने रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में इस न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा पारित आदेशों को चुनौती न देने के बावजूद विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रिट की स्थिरता के सवाल को बरकरार रखा है। फिर भी, रिट याचिकाकर्ताओं ने अपने कार्य और आचरण द्वारा इस न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा पारित आदेशों को स्वीकार कर लिया, जहां इस न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्ति लाभों के किसी भी अधिकार का दावा या निर्णय नहीं किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं को 60 साल की सेवा से ऊपर की अवधि की गणना करके छुट्टी नकदीकरण का दावा करने से रोक दिया गया है क्योंकि उन्होंने इस न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत काम किया था और उनकी रिट याचिकाएं खारिज हो जाती हैं। इस न्यायालय की समता और अंतरिम आदेशों को ध्यान में रखते हुए न तो अपीलार्थी-विश्वविद्यालय ने सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद भुगतान किए गए वेतन की वसूली शुरू करने का विकल्प चुना और न ही इस न्यायालय ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय कोई टिप्पणी की। इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

(20.4) रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उनके अधिकारों और सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में किसी भी शिकायत या संदेह के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगना सही तरीका था क्योंकि इस न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को स्पष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है तथापि, विशिष्ट स्थिति और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे समक्ष चुनौती के अधीन हैं, हम संबंधित मुद्दे पर ध्यान देना और रिट याचिकाकर्ताओं की अपीलों पर निर्णय लेना उचित समझते हैं।

हमारा मानना है कि 'वेतन' अभिव्यक्ति में सेवा की विस्तारित अवधि पर विचार करने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ यानी उपदान, वृद्धि और पेंशन का निर्धारण शामिल नहीं माना जा सकता है। अपीलार्थी-विश्वविद्यालय को अपने नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ देना था। अपीलकर्ता ने दिनांक 28.10.2003 (अनुलग्नक पी-2) के संचार के माध्यम से रिट याचिकाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से सूचित किया कि उन्हें विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण का भुगतान किया जाएगा, हालांकि, सेवा की विस्तारित अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465 में पारित अंतिम आदेश के आलोक में किया जाएगा, जो ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) के साथ तय किया गया था। रिट याचिकाकर्ताओं ने कभी भी उपरोक्त संचार को चुनौती नहीं दी और विस्तारित अवधि के लिए वेतन के साथ-साथ सेवानिवृत्ति लाभों को खुशी-खुशी स्वीकार किया, जो सेवानिवृत्ति की 60 वर्ष की आयु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए थे।

इस विलंबित चरण में रिट याचिकाकर्ता कोई परिवर्तन नहीं ले सकते हैं और अपीलार्थी-विश्वविद्यालय के दिनांक 28.10.2003 के साथ-साथ 2002 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 11465 में इस न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के विपरीत लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं, जिसका निर्णय ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) के साथ किया गया था।

यह रिट याचिकाकर्ताओं के लिए न्यायाधीश और अनुचित लाभ का उपहास होगा यदि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष को देखते हुए सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाते हैं। यह ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) में इस न्यायालय की समन्वित खण्डपीठ के फैसले को अप्रत्यक्ष रूप से रद्द करने के बराबर होगा। हमारे पास ए. सी. जुल्का (उपरोक्त) में इस न्यायालय की समन्वय खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है। रिट याचिकाकर्ता जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निष्कर्षों का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जगदीश प्रसाद शर्मा (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से विशेष रूप से इस तथ्य की पृष्ठभूमि में देश भर में शिक्षकों को 60 वर्ष से अधिक समय तक काम करने की अनुमति दी गई थी और उन्हें जारी रखने का आधार माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेश थे। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वेतन के लाभ को बढ़ाया अन्यथा विश्वविद्यालय वसूली की कार्यवाही शुरू कर सकते थे क्योंकि 60 वर्ष से अधिक सेवा के विस्तार को अन्यायपूर्ण और कानून के अधिकार के बिना घोषित किया गया था।

(20.5) राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ यू. पी. और अन्य बनाम शिव नारायण उपाध्याय के साथ काम करते हुए सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि के विवाद के प्रश्न में कहा गया है कि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के बाद प्रदान की गई सेवाओं के लिए वेतन का हकदार होगा हालांकि, सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि के बाद की अवधि को उसके सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं माना जाएगा। संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैः-

"स्थिति के ऊपर उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि प्रतिवादी-कर्मचारी की जन्म तिथि 1.9.1939 थी, जो सेवा पुस्तिका में दर्ज की गई है, उसके विपरीत है।हम पाते हैं कि प्रतिवादी-कर्मचारी ने 31.1.1991 दिनांकित आदेश पारित होने तक सेवा प्रदान की थी।सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि यानी 30.9.1990 के बाद उसके द्वारा 31.1.1991 तक प्राप्त वेतन का प्रत्यक्ष धनवापसी करना न्यायसंगत नहीं होगा। हालाँकि, सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि से आगे की अवधि यानी 30.9.1990 से 31.1.1991 तक की अवधि को उनके सेवानिवृत्ति लाभों के रूप में नहीं माना जाएगा।"

उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधे लागू होता है, इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 60 वर्ष से आगे की अवधि के लिए सेवानिवृत्ति लाभ के हकदार नहीं हैं।

(20.6) हम आगे डॉ. शिव सिंह (उपरोक्त) मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा व्यक्त की गई राय से सहमत हैं, जिसमें न्यायालय ने कहा है कि याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए वेतन के हकदार हैं, जिसके दौरान उन्होंने 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी किसी भी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश को देखते हुए काम किया है, लेकिन उनके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों की गणना याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवानिवृत्ति की 62 वर्ष आयु होने पर प्राप्त वेतन के आधार पर की जाएगी।

(21) उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैंः

(i) अपीलकर्ता विश्वविद्यालय पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, 1947 और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुसार सेवा की विस्तारित अवधि के लिए छुट्टी नकदीकरण के कारण भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

(ii) रिट याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की आयु अर्थात 60 वर्ष से अधिक की सेवाओं के कारण किसी भी सेवानिवृत्ति लाभ का दावा करने के हकदार नहीं हैं।

तदनुसार, अपीलार्थी-विश्वविद्यालय की अपीलें सवीकार की जाती है और रिट याचिकाकर्ताओं की अपीलें खारिज की जाती है।

डॉ. पायल मेहता

गुलशन कुमार

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा मे अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा मे इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।